कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री अर्शिया ट्रेडर्स, यू0जी0एफ0-13, श्री हरी टॉवर, मीराबाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**014 / 14, 17.02.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री अरविन्द सिंह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री अर्शिया ट्रेडर्स, यू0जी0एफ0-13, श्री हरी टॉवर, मीराबाई मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 17.02.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा **मोटी सिवंई** पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अरविन्द सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि बाजार में लम्बी पतली सिवंई (thin vermicelli noodles), लम्बी मोटी सिवंई (thick vermicelli noodle), कच्ची सिवंई (छोटे टुकड़ों में) (raw vermicelli) एवं लच्छेदार सिवंई (laccha vermicelli noodle) उपलब्ध हैं। यह भी बताया गया कि उक्त आइटम्स मैदे के घोल को मशीन में डालकर बनाया जाता है। यह भी कहा गया है कि उक्त वर्णित विभिन्न प्रकार की सिवंई के निर्माण में एक ही प्रक्रिया व कच्चे माल के मिश्रण (केवल मैदा व पानी के साथ) का प्रयोग किया जाता है। अत: सिवंई करमुक्त होना चाहिए। यह भी कहा गया कि बाजार में अन्य विभिन्न प्रकार के नूडल्स उपलब्ध हैं, जिनमें तेल, मसाले तथा अन्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसका स्वाद भिन्न हो जाता है।

3.. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-1397, दिनांक 14.08.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-27 में '' सिवंई '' '' Sewaiyan '' विज्ञापित होने के कारण करमुक्त है तथा सिवंई की ही तरह बने होने एवं प्रयुक्त किये जाने वाले '' नूडल्स '' वैट अधिनियम की किसी अनुसूची में विज्ञापित न होने के कारण अवर्गीकृत की भाँति करयोग्य हैं।

सिवंई को अंग्रेजी में वर्मीसेली कहा जाता है जिसको हिन्दी में सिवंई, बंगाली में सेंवई, के नाम से जाना जाता है। सिवंइयाँ विभिन्न प्रकार की मोटाई एवं लम्बाई में होती हैं तथा इनके निर्माण में आटा एवं चावल आदि का उपयोग किया जाता है। यह सिवंइयाँ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-27 पर विज्ञापित होने के कारण करमुक्त हैं।

नूडल्स:: गेहूँ, चावल, बाजरे या अन्य किस्म के आटे से बनाकर सुखाए गये लम्बे रेशे होते हैं जिन्हें उबलते हुए पानी या तेल में डालकर खाने के लिए पकाया जाता है। प्रस्तुत किये गये नूडल्स के पैकेट में आटा, खाद्य तेल, नमक, कैल्शियम कार्बोनेट, व्हीट ग्लूटन, मिनरल एवं गौरगम इनग्रेडिंएन्ट सम्मिलित किया गया है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के

...2

कमांक-27 पर निम्नलिखित प्रविष्टि अंकित है :-

Papar, aam papar, kachri made of rice, **sewaiyan**, mungauri and bari including soyabean mungauri and soyabean bari

इस प्रविष्टि में सिवंइयॉ नामक वस्तु को सम्मिलित करते हुए करमुक्त घोषित किया गया है । प्रार्थी द्वारा मोटी सिवंई पर कर की दर बताने का अनुरोध किया गया है । करमुक्ति के बिन्दु पर अधिनियम की प्रविष्टि के अनुसार मोटी, पतली, लम्बी अथवा लच्छेदार सिवंई होने से कोई अन्तर नहीं है । सामान्य रूप से भारतीय परिवारों एवं बाजार में खाद्य वस्तु के रूप में सिवंई की जो अवधारणा है अधिनियम का उद्देश्य उसे ही करमुक्त करने का है । सामान्य रूप से प्रचलित एवं परम्परागत सिवंई जिसका निर्माण मुख्यत: कुटीर उद्योगों एवं घरों में भी किया जाता है, से भिन्न अन्य किसी नाम जैसे-नूडल्स इत्यादि बाजार में बिकने वाली वस्तु करमुक्त की श्रेणी में नहीं होनी चाहिए । बाजार में नूडल्स के नाम से विभिन्न ब्राण्ड नाम से बिकने वाली नूडल्स खाद्य वस्तु स्पष्टत: भारतीय सिवंइयों से भिन्न होती है तथा सिवंइयॉ एवं नूडल्स के निर्माण में प्रयुक्त अधिकतर ' घटक ' भी भिन्न होते हैं । अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-27 पर अंकित '' सिवंइयॉ '' मात्र ही करमुक्त होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-27 पर अंकित प्रविष्टि में सम्मिलित '' sewaiyan '' के अन्तर्गत मोटी सिवंई भी आती है । कामर्शियल मार्केट में तथा Common Parlance में भी सिवंई व noodles को भिन्न वस्तुओं के रूप में जाना जाता है । प्रार्थी का यह कथन कि सिवंई का शाब्दिक अर्थ नूडल है, तथ्यों के विपरीत है तथा मान्य नहीं है । सामान्य एवं प्रचलित रूप से बाजार में उपलब्ध प्रत्येक प्रकार की सिवंइयॉ उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत करमुक्त होंगी, किन्तु अन्य मिलती-जुलती खाद्य वस्तुएं जो विभिन्न नाम से बाजार में उपलब्ध हैं जैसे-नूडल्स इत्यादि, उक्त प्रविष्टि से आच्छादित न होने के कारण करमुक्त नहीं होंगे ।

प्रार्थी द्वारा केवल मोटी सिवंई पर कर की दर पूछी गयी है । अत: मोटी सिवंइयॉ उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-27 पर अंकित प्रविष्टि में वर्णित सिवंइयॉ के अन्तर्गत करमुक्त होंगे ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 26 सितम्बर, 2014

ह0 / 26.09.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।